11

दिनांक–15.07.2011 को विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में आहूत बिहार कौशल विकास मिशन के कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही

1795
1/8/11

उपस्थिति
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

अभिवादन के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गई । प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग ने राज्य में कौशल विकास नीति एवं कार्य योजना बनाए जाने का सुझाव दिया तथा इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला । उन्होंने कौशल विकास के क्षेत्र में विभाग द्वारा बनायी गयी कार्य योजना तथा किए जा रहे कार्यो पर भी प्रकाश डाला । दिनांक– 29.09.2010 को हुई गत बैठक के अनुपालन में किसी भी अन्य विभाग ने अपनी कार्य योजना नहीं भेजी थी, फलतः उन पर चर्चा नहीं हो सकी । विचार विमर्श के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिए गए:–

1. अध्यक्ष सह विकास आयुक्त ने IIPA द्वारा तैयार Draft Report की प्रति सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध कराए जाने का निदेश दिया। सभी विभाग उक्त प्रतिवेदन का अध्ययन कर अपनी कार्य योजना तैयार करे।
2. औद्योगिक संघों को भी इसकी प्रति दी जाय एवं उनसे उनकी प्रतिक्रिया एव सुझाव प्राप्त किया जाय।
3. सभी संबंधित विभागों को ग्रुप में बॉटते हुए प्रत्येक ग्रुप की एक कार्यशाला आयोजित किया जाय जिसमें संबंधित विभाग को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। यह कार्यशालाएँ अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान द्वारा श्रम संसाधन विभाग के सहयोग से आयोजित होगी ।
4. बिहार इन्डस्ट्रीज एसोशिएशन के अध्यक्ष के सुझाव पर निर्णय हुआ कि कौशल विकास में निम्नलिखित सेक्टर पर ध्यान दिया जाय।
   - आई0 टी0 सेक्टर
   - कन्सट्रक्शन सेक्टर
   - रिटेल सेक्टर
   - पर्यटन क्षेत्र
5. ए0 एन0 सिन्हा इंस्टिच्यूट के निदेशक के सुझाव पर Organised Sector एवं Unorganised Sector के लिए अलग–अलग कौशल नीति बनाने का निर्णय लिया गया ।

   यह भी निर्णय लिया गया कि अल्पावधि एवं Long Term परिपेक्ष्य में कौशल विकास का कार्यक्रम तैयार किया जाय।
6. प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैद्यिकी ने सुझाव दिया कि राज्य स्तर पर एक संस्था बनाएँ जो प्रमाणीकरण के लिए उत्तरदायी होगा। विमर्शोपरान्त निर्णय हुआ कि विभिन्न कार्यकमों का प्रमाणीकरण पूर्व की भॉति होती रहेगी।
7. अध्यक्ष ने कहा कि कोई विभाग यदि चाहे तो राज्यहित में किसी संस्था के साथ प्रशिक्षण हेतु MOU कर सकता है।
8. IIPA से अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कौशल विकास नीति एवं कार्य योजना तैयार करने हेतु अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान के चयन की स्वीकृति दी गई।
9. सभी विभाग सक्षम एवं ख्याति प्राप्त संस्थाओं को आकृष्ट करने की योजना बनाएँ ताकि अन्य प्रदेशों के ख्यातिप्राप्त संस्था राज्य में अपना सेन्टर स्थापित करें।
10. MES कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर बल दिया जाय।
11. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण ने बताया कि राज्य में शिक्षु प्रशिक्षण की व्यवस्था है परन्तु पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो रहा है। निर्णय हुआ कि इसे राज्य में सख्ती से लागू किया जाय।

12.. कौशल विकास मिशन के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक चयन समिति की स्वीकृति दी गई।

1. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण	–	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग	–	सदस्य
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून नहीं)	–	सदस्य
4. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
5. उप निदेशक, प्रशिक्षण	–	सदस्य सचिव
6. सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	–	सदस्य

विशेषज्ञ के रूप में डा0 डी0 एम0 दिवाकर, निदेशक, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान,पटना रहेंगे ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवही समाप्त की गई।

मिशन निदेशक बिहार कौशल विकास मिशन	प्रधान सचिव–सह–उपाध्यक्ष बिहार कौशल विकास मिशन	विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष बिहार कौशल विकास मिशन

ज्ञापांक– टी2/नामां0 (अप ग्रे0)–04/2008(खण्ड)– 1795 दिनांक– 1/8/11

प्रतिलिपिः– सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(संजय कुमार)
मिशन निदेशक,